2017/00038

Reader - I

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 38 / 2017

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. श्री कालूराम पिता श्री पुंजा भील
2. श्री मोहनलाल पिता नानजी भील
3. श्रीमती कमला पत्नी नानजी भील

निवासीयान हमीरपुरा बड़ा तहसील बागीदौरा

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, कार्यालय–बी 59, बापु नगरा, पश्चिम रोड़ नं. 5, सेती, चित्तोड़गढ।
2. तहसीलदार, बागीदौरा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा।
4. श्री प्रभू पिता रामेंग भील निवासी हमीरपुरा बड़ा
5. श्री ललित पिता रामेंग भील निवासी हमीरपुरा बड़ा
6. श्री गुनी पिता रूपजी भील निवासी हमीरपुरा बड़ा
7. श्री सोहन पिता रूपजी भील निवासी हमीरपुरा बड़ा
8. श्री शान्ति पिता रूपजी भील निवासी हमीरपुरा बड़ा
9. श्री सुभाष पिता रूपजी भील निवासी हमीरपुरा बड़ा
10. श्रीमती कपुरी पत्नी श्री रूपजीभील निवासी हमीरपुरा बड़ा
11. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बड़ोदिया

श्री भगवत पुरी,
–अधिवक्ता प्रार्थी

उपस्थित

1. श्री हीरालाल जैन,
   – अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
2. श्री राजेन्द्र पाटीदार, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 4, 6, 8 एवं 9

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत् प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु

निर्णय

दिनांक :– 27–03–2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत् प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु उनकी वंशावली प्रस्तुत करते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण की ग्राम हमीरपुरा बड़ा, पटवार हल्का

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

नागावाड़ा में स्थित संवत् 2069 से 2072 शक के खाता संख्या 51 नया व 56 पुराना की कृषि भूमि निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	आराजी सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टर में
1	365/909	0.0400
2	370/910	0.0500
3	371/ 911	0.0300
4	381	0.1200
5	382	0.0300
6	383	0.0700
	कुल किता 6	कुल क्षेत्रफल 0.3400 हैक्टर

उक्त कृषि भूमि को प्रार्थीगण के पिता श्री पूंजा द्वारा नवतोड़ निकाली गई, जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दोनों पुत्र श्री कालूराम व श्री नानजी की छोटी उम्र व नासमझी का अनुचित लाभ उठाकर श्री पूंजा के भाई श्री रूपजी ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर स्वयं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया, जो श्री रूपजी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के नाम वर्तमान जमाबंदी में अंकित है, जबकि स्व. श्री पूंजा की उक्त कृषि भूमि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पत्रु व प्रार्थीगणों के नाम विरासत होने से राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना था। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के शुद्ध एवं पवित्र स्वत्व व आधिपत्य की ओर प्रार्थीगण उस पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजीयात में ही प्रार्थीगण का घर भी बना हुआ है, जिसमें वह कदिमाना समय से निवास कर रहे हैं। राजस्व अभिलेखों में की गई अविधिपूर्ण, अनाधिकृत एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियों का अनुचित लाभ उठा कर प्रत्यर्थी सख्या 4 लगायत 10 का उक्त वादग्रस्त आराजीयान पर कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी जब प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही आरम्भ की गई, तब प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 10 द्वारा अवाप्त शुदा भूमि का स्वामित्व व अधिपत्य का झुठा क्लेम कर प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली है, जो प्रत्यर्थी संख 4 लगायत 10 से पुनः वसूल कर प्रार्थीगणों को दिलाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण के संयुक्त आधिपत्य की उक्त कृषि भूमि कदिमाना समय से प्रार्थीगण व उनके पूर्वज श्री पूंजा के कब्जे काश्त की होकर उक्त भूमि का स्वामित्व व आधिपत्य प्रार्थीगण के अनन्य कब्जे का है। आराजी सर्वे नम्बर 381 रकबा 0.12 हैक्टर में से नया खसरा नं. 1053/381 रकबा 0.1014 है. व सर्वे नम्बर 382 रकबा 0.03 है. तथा आराजी सर्वे नं. 383 रकबा 0.07 है. में से नया खसरा नं. 1054.383 रकबा 0.0390 है. कुल खेत 3 कुल रकबा 0.1704 हैक्टर कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या 3 भूमि अवाप्ति अधिकारी, बागीदौरा ने अपने आदेश/ अवार्ड दिनांक 23–04–2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 पाड़ी से दाहोद खण्ड के बाईपास एवं रोड़ विस्तार में आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के सम्बन्ध में अवार्ड जारी किया है। अवार्ड दिनांक 23–04–2015 में प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि की मुआवजा राशि रू. 8.94 लाख प्रति हैक्टर की दर से कुल मुआवजा राशि 167572/– स्वीकृत की गई है। जो प्रतिकर राशि की दर भी बाजार मूल्य से अत्यन्त न्यून निर्धारित किया गया है। उक्त अवार्ड में प्रार्थी को दी गयी प्रतिकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर
(राज.)

राशि को प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 का उक्त अवार्ड अविधिपूर्ण, मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है व प्रतिकर राशि पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति हैं तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करते हैं एवं प्रार्थीगण इस न्यायालय द्वारा अवार्ड का पुनः अवधारणा करना चाहता हैं। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रखकर हितबद्ध व्यक्ति के नाम अवार्ड पारित किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा कानूनी प्रावधानों को नजरंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारित किया है, जो अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का मकान व कुआ है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि पर किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्ष मौजुद हैं, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रश्नगत अवार्ड में अंकित नहीं किया है व कोई राशि नहीं दिलाई है। अवाप्तशुदा भूमि पर मौजुद कुए की किमत 2.00 लाख रू0 व मकान की किमत 5.00 लाख रू0 है, तथा किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों की किमत 2.00 लाख रू0 है। किन्तु उक्त सभी तथ्यों को व परिस्थतियों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रश्नगत अवार्ड पारित किया है, जो मनमाना व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किया जाने योग्य है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति– कुआ, मकान, किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है तथा उक्त मामले में पुनः न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की प्रश्नगत अवाप्तशुदा कृषि भूमि की दर 80.00 लाख रू. प्रति हेक्टर है। भूमि एवं परिसम्पत्तियों का निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाकर तदनुसार राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया :–

क्र. सं.	सम्पत्ति	मूल्य
1	कृषि भूमि रकबा 0.1704 है.	1363200
2	कृषि भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां	900000
	योग	2263200
3	100% तोषण (सोलेशियम)	2263200
	योग	4526400

उक्तानुसार राशि रूपया 4526400/– एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण को नोटिस नहीं मिल पाने के कारण अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए, तथा इसकी पैरवी नहीं की जा सकी। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 10 से मिल कर प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कुल भूमि रकबा 0.3400 है. में से 0.1704 है. भूमि की मुआवजा राशि रू. 167572/– प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 10 को प्रार्थी को सुने बिना प्रत्यर्थी संख्या 11 में स्थित बचत खाते से अदा कर दी है तथा अवार्ड जारी करने के पश्चात बिना किसी विधिक प्रावधान के

मनमाने तौर से अपने अवार्ड का पुनर्विलोकन कर प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की अवाप्त की गई भूमि की संशोधित मुआवजा राशि भी प्रत्यर्थीगण 4 लगायत 10 को अदा करना चाहते हैं। समस्त अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की रही है। वर्तमान में भी अवाप्तशुदा भूमि पर मकान बना हुआ है तथा प्रार्थीगण ही उस भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं। सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण की है तथा सम्पूर्ण मुआवजा राशि प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रत्यर्थीगण 4 लगायत 10 को अदा की गई राशि वसूल कर प्रार्थीगण को दिलाया जाना आवश्यक है तथा मामले के निस्तारण तक प्रत्यर्थी संख्या 11 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करने से रोका जाना भी आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा हाई–वे का कार्य शुरू करने पर प्रार्थीगण को भूमि अवाप्ति की जानकारी हुई।

प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 10 से प्रश्नगत कृषि भूमि की मुआवजा राशि 167572/– रू. दिलाये जाने के साथ ही भूमि एवं परिसम्पत्तियों की राशि एवं उस पर 100 प्रतिशत तोषण इस प्रकार कुल राशि रूपया 4526400/– एवं उस पर नोटिफिकेशन की तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल जैन, अधिवक्ता द्वारा तथा प्रत्यर्थी संख्या 4, 6, 8 एवं 9 की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 5, 7, 10 एवं 11 नोटिस की तामिली के बाद भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा विधिवत् जांच कराने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा उसकी विधिवत् जांच रिपोर्ट एवं कार्यालय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर पेश की जाती है और कानून के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण में अवाप्त की जाने वाली भूमि का प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधिगृहण की गई भूमि के संबंध में अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के आधार पर जारी किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु जारी अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 14–06–2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र की सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर के निर्धारण हेतु भूमि के डीएलसी मूल्य को गुणक से गुणा किए जाने के उपरान्त निर्धारित कर भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना है तथा उक्त भूमि के 3–ए अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत जारी अवार्ड की

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर

दिनांक तक ब्याज राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से दी जानी है एवं अवाप्त की गई भूमि पर स्थित संरचनाओं का भी भूगतान प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा एवं सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार अवार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रगतिधीन है। प्रार्थी ने जिन आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, वह भी मनमाने ढंग से राशि की मांग करने हेतु पेश किया है। कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी अन्तिम अवार्ड जारी किया जाता है, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 भुगतान कर सकता है। इससे परे किसी प्रकार की कोई रकम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार ग्राम हमीरपुरा की जमाबन्दी 2069 से 2072 खाता क्रमांक 51 अनुसार वाद पत्र में वर्णित भूमि 365/ 909 रकबा 0.04 है., ख.न. 370/ 910 रकबा 0.05 है., ख.न. 371/ 911 रकबा 0.03 है., ख.न. 381 रकबा 0.12 है., ख.न. 382 रकबा 0.03 है., ख.नं. 383 रकबा 0.07 है. कुल किता 6 कुल रकबा 0.34 हैक्टर भूमि प्रभू, ललित पिता रामेंग, वेस्ती बेवा रामेंग 1/6, गुनी, शान्ति, सुभाष पिता रूपजी, कपुरी बेवा रूपजी, पवन पिता सोहन, मणित बेवा सोहन 5/6 सादेह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। अवाप्ति कार्यवाही के प्रारम्भ से अवार्ड जारी होने तक की सम्पूर्ण अवधि में अवाप्ताधीन भूमि जिन कृषकगणों के नाम दर्ज रेकार्ड भी नियमानुसार अधिकृत व्यक्तियान के पक्ष में ही पारित किया जाकर प्रतिकर का भुगतान किया गया। अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड विधिमान्य अधिकृत हितबद्ध व्यक्तियान के पक्ष में ही पारित किया गया है, जिसमें किसी भी विधि सम्मत हितबद्ध व्यक्ति की अनदेखी नही की गई है। मुआवजा राशि विधिमान्य ढंग से निर्धारित की गई है। अवार्ड पारित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध व्यक्तियान को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, जिसमें कोई आपत्ति या वाद पत्र में दर्शाये गये तथ्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार, बागीदौरा के माध्यम से अवाप्ताधीन भूमि की रेकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट भी मंगवाई गई थी, जिसमें वाद पत्र में दर्शायी गई अवाप्ताधीन भूमि पर कोई परिसम्पत्ति या वृक्ष वगैरह नहीं होना पाया गया। अवाप्त भूमि का प्रकाशन क्षेत्र में प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दो–दो बार किया गया तथा वैधानिक हितबद्ध व्यक्तियान को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित भी किया गया था। सम्पूर्ण अवाप्ति कार्यवाही विधिमान्य ढंग से सम्पन्न की गई है। रेकार्ड अनुसार प्रार्थीगण अवाप्त भूमि के खातेदार /गैर खातेदार नहीं होकर अवाप्त भूमि के विधिमान्य हितबद्ध व्यक्ति नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 4, 6, 8 व 9 की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है तथा प्रार्थीगण का उस पर कोई हक, हित व अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत समस्त तथ्य मनगढन्त होकर मिथ्या हैं। प्रार्थीगण का उक्त अवार्ड में कोई हिस्सा होना पूर्ण रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई हक या अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण 4, 6, 8 व 9 प्रश्नगत भूमि के खातेदार कृषक होकर उक्त भूमि पर काबिज हैं तथा नियमानुसार उन्हें मुआवजे की राशि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से उक्त कृषि भूमि में खातेदार कृषक नहीं रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त कृषि भूमि को प्रार्थीगण के पिता श्री पूंजा द्वारा नवतोड़ निकाली गई, जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दोनों पुत्र श्री कालूराम व श्री नानजी की छोटी उम्र व नासमझी का अनुचित लाभ उठाकर श्री पूंजा के भाई श्री रूपजी ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर स्वयं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया, जो श्री रूपजी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के नाम वर्तमान जमाबंदी में अंकित है, जबकि स्व. श्री पूंजा की उक्त कृषि भूमि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पत्रु व प्रार्थीगणों के नाम विरासत होने से राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना था। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के शुद्ध एवं पवित्र स्वत्व व आधिपत्य की ओर प्रार्थीगण उस पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजीयात में ही प्रार्थीगण का घर भी बना हुआ है, जिसमें वह कदिमाना समय से निवास कर रहे हैं। राजस्व अभिलेखों में की गई अविधिपूर्ण, अनाधिकृत एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियों का अनुचित लाभ उठा कर प्रत्यर्थी सख्या 4 लगायत 10 का उक्त वादग्रस्त आराजीयान पर कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी जब प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही आरम्भ की गई, तब प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 10 द्वारा अवाप्त शुदा भूमि का स्वामित्व व अधिपत्य का झुठा क्लेम कर प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली है, जो प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 10 से पुनः वसूल कर प्रार्थीगणों को दिलाया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही जो अत्यन्त न्यून मुआवजा निर्धारित किया गया है, उसके स्थान पर प्रार्थना पत्र में अंकित की गई राशि के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अधिगृहण हेतु जारी अवार्ड राशि के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अधिगृहण की गई भूमि का अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 4, 6, 8 व 9 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है तथा प्रार्थीगण का उस पर कोई हक, हित व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई हक या अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण 4, 6, 8 व 9 प्रश्नगत भूमि के खातेदार कृषक होकर उक्त भूमि पर काबिज हैं तथा नियमानुसार उन्हें

भगवती प्रसाद

मुआवजे की राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से उक्त कृषि भूमि में खातेदार कृषक नहीं रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बागीदौरा द्वारा अवाप्त भूमि का प्रकाशन क्षेत्र में प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों में दो–दो बार किया गया तथा वैधानिक हितबद्ध व्यक्तियान को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित भी किया गया था। सम्पूर्ण अवाप्ति कार्यवाही विधिमान्य ढंग से सम्पन्न की गई है। रेकार्ड अनुसार प्रार्थीगण अवाप्त भूमि के खातेदार /गैर खातेदार कृषक नहीं होकर अवाप्त भूमि के विधिमान्य हितबद्ध व्यक्ति नहीं हैं। इन समस्त तथ्यों को देखते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बागीदौरा द्वारा जारी किया गया अवार्ड विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 27–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा